तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली
पर
बहुधा किए जानेवाले प्रश्न

भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद प्रभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

दूरभाष : ०२२-२२६४१६१०   फैक्स : ०२२-२२६५९५६६
ई मेल : हशश्रविीीऊीलळ.ीस.ळप

आरटीजीएस प्रणाली

प्र. १. आरटीजीएस प्रणाली क्या है ?

उत्तर- आदिवर्णक शब्द आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट(तत्काल सकल भुगतान) के लिए प्रयुक्त होता है। आरटीजीएस प्रणालीएक निधि अंतरण प्रणाली है एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि का अंतरणतत्काल समय में सकल आधार पर होता है। बैंकिंग चैनल के माध्यमसे की जानेवाली यह संभाव्य द्रुततम धन अंतरण प्रणाली है। तत्कालसमय में भुगतान करने का आशय यह है कि भुगतान के लेनदेन की कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होती। लेनदेन का भुगतान उनके प्रसंस्करण के तुरंत बाद कर दिया जाता है। सकल भुगतान का आशय यह है कि लेनदेन का भुगतान किसी अन्य भुगतान के साथ न मिलाकर एकक आधार पर किया जाता है। चूंकि धन का अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के बही खातों में होता है, अत: इस भुगतान को अंतिम और अविकल्पी माना जाता है।

प्र. २. आरटीजीसी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली से किस तरह अलग है ?

उत्तर-एनईएफटी भी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है जो आस्थगित निवल निपटान (डीएनएस) आधार पर कार्य करती है और लेनदेन का निपटान बैचों में करती है। डीएनएस में भुगतान एक खास समय में होता है। उस समय तक सभी भुगतान रोके रखे रहते हैं। उदाहरणार्थ, एनईएफटी भुगतान सोमवार से शुक्रवार तक ६ बार (पूर्वाह्न ९.३० बजे, पूर्वाह्न १०.३० बजे, मध्याह्न १२.०० बजे, अपराह्न १.०० बजे, अपराह्न ३.०० बजे और अपराह्न ४.०० बजे) और शनिवार को ३ बार (पूर्वाह्न ९.३० बजे, पूर्वाह्न १०.३० बजे और मध्याह्न १२.०० बजे) होता

है। निर्दिष्ट भुगतन समय के बाद किए गए किसी लेनदेन के लिए अगले निर्दिष्ट भुगतान समय की प्रतीक्षा करनी होती है। इसके विपरीत पूरे आरटीजीएस कारबर समय में आरटीजीएस लेनदेन का लगतार प्रसंस्करण किया जाता है।

प्र.३. क्या आरटीजीएस लेनदेन के लिए कोई न्यूनतम/अधिकतम राशि निर्धारित है ?
उत्तर-आरटीजीएस प्रणाली प्राथमिक रूपि से बडी राशि के लेनदेन के लिए होती है, आरटीजीएस के माध्यम से धन प्रेषित की जानेवाली न्यूनतम राशि १ लाख रु. है। आरटीजीएस लेनदेन के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं है। एनईएफटी लेनदेन के लिए कोइ न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धरित नहीं की गई है।

प्र.४. आरटीजीएस के अंतर्गत एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरण करने में कितना समय लगता है ?
उत्तर- सामान्य स्थितियों में धन प्रेषक शाखाओं द्वारा निधि का अंतरण करने के तुरंत बाद हिताधिकारी शाखाओं को तत्काल निधि प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। निधि अंतरण संदेश प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर हिताधिकारी बैंक को हिताधिकारी के खाते में राशि जमा करनी होगी।

प्र. ५. क्या धन प्रेषण करनेवाले ग्राहक को हिताधिकारी के खाते में धन जमा होने की अभिस्वीकृति प्राप्त होगी ?
उत्तर-धन प्रेषण करनेवाले बैंक को रिजर्व बैंक से एक संदेश मिलता है कि प्राप्तकर्ता बैंक में धन जमा कर दिया गया है। धन प्रेषण करनेवाला बैंक इसके आधार पर विप्रेषण करनेवाले ग्राहक को यह सूचना देता है कि प्राप्तकर्ता बैंक को धन सुपुर्द कर दिया गया है।

प्र. ६. यदि हिताधिकारी के खाते में धन जमा नहीं हुआ तो क्या ग्राहक को धन वपस मिल जाएग ? कब ?
उत्तर- हां। यह अपेक्षा की जाती है कि प्राप्तकर्ता बैंक हिताधिकारी के खाते में राशि तत्काल जमा कर देगा। यदि किसी कारण से धन जमा नहीं किया जा सका तो प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा धन प्रेषण करनेवाले बैंक को २ घंटे के भीतर धन लौटाना होता है। धन प्रेषण करनेवाले बैंक द्वारा धन प्राप्त करने के बाद ग्राहक के खाते में मूल नामे प्रविष्टि को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

प्र. ७. आरटीजीएस सर्विस विंडो कब तक उपलब्ध रहती है ?
उत्तर- ग्राहकों द्वारा लेनदेन करने के लिए आरटीजीएस सर्विस विंडो सोमवार से शुक्रवार तक ०९.०० बजे से १६.०० बजे तक तथा शनिवार को ९.०० बजे से १२.०० बजे तक उपलब्ध है अर्थात भारिबैंक में भुगतन हेतु ग्राहक के लेनदेन स्वीकार करने हेतु सोमवार से शुक्रवार तक ०९.०० बजे से १६.०० बजे तक तथा शनिवार को ९.०० बजे से मध्याह्न १२.०० बजे के बीच। किंतु इन घंटों के बीच का समय शाखाओं अभिलिखित ग्राहक के समय से भिन्न होगा। अंतर बैंक लेनदेन के लिए सर्विस विंडो सोमवार से शुक्रवार तक ०९.०० बजे से ०५.३० बजे तक तथा शनिवार को ९.०० बजे से १४.०० बजे तक उपलब्ध है।

प्र. ८. आरटीजीएस लेनदेन हेतु प्रसंस्करण प्रभार/सेवा प्रभार के बारे में बताएं।
उत्तर- भारिबैंक ने तो ३१ मार्च, २००९ तक प्रसंस्करण प्रभार से छूट दे दी है किंतु बैंकों द्वारा लगाए जानेवाले सेवा प्रभार संबंधित बैंकों के विवेक पर छोड.दिया गया है। लगाए गए सेवा प्रभारों का बैंकवार विस्तृत विवरण भारिबैंक की वेबसाइट हशश्रर्विींींीऊीलळ.ीस.ळप पर उपलब्ध है।

प्र.९ .किए जानेवाले धन प्रेषण के लिए धन प्रेषण करनेवाले ग्राहक द्वारा बैंक को कौन सी आवश्यक सूचना देनी होगी ?

उत्तर- आरटीजीएस धन प्रेषण किए जाने हेतु धन प्रेषण करनेवाले ग्राहक द्वारा बैंक को निम्नलिखित आवश्यक सूचना देनी होगी :

१. विप्रेषित की जानेवाली राशि
२. अपना खाता संख्या जिसमें नामे लिखा जाना है।
३. हिताधिकारी बैंक का नाम
४. हिताधिकारी ग्राहक का नाम
५. हिताधिकारी ग्राहक का खाता संख्या
६. प्रेषक को प्राप्तिकर्ता की सूचना, यदि हो
७. प्राप्त करनेवाली शाख का आईएफएससी कोड

प्र. १०. किसी व्यक्ति को प्राप्त करनेवाली शाखा के आईएफएससी कोड की जानकारी कैसे मिलेगी।

उत्तर- हिताधिकारी ग्राहक अपनी शखा से आईएफएससी कोड प्राप्त कर सकता है। आईएफएससी कोड चेक-पन्नों पर भी दिया गया होता है। हिताधिकारी द्वारा यह कोड संख्या और बैंक शाखा के ब्योरे धन प्रेषण करनेवाले ग्राहक को दिए जा सकते हैं।

प्र. ११. क्या भारत के सभी बैंकों की शाखाएं आरटीजीएस सेवा प्रदान करती हैं ?
उत्तर- नहीं, भारत के सभी बैंकों की शाखाओं में आरटीजीएस सुविधा नहीं है। ३० अप्रैल, २००८ की स्थिति को बैंकों की ४४,००० से अधिक शाखाओं में आरटीजीएस सुविधा है। उक्त शाखाओं की सूची भरिबैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्र. १२. क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे धन प्रेषण करनेवाला ग्राहक धन प्रेषण लेनदेन की खोज-खबर रख सके ?

उत्तर- यह विप्रेषण करनेवाले ग्राहक और विप्रेषण करनेवाले बैंक के बीच की गई व्यव्स्था पर निर्भर करेगा। इंटरनेट बैंकिंग सुविधावाले कुछ बैंक यह सुविधा प्रदान करते हैं। हिताधिकारी बैंक के खाते में एक बार निधि के जमा हो जाने के बाद विप्रेष□ण करनेवाले ग्राहक को अपने बैंक से ई-मेल से या मोबाइल पर लघु संदेश प्राप्त होता है।

प्र. १३. किसी ग्राहक को यह कैसे मालूम होगा कि हिताधिकारी के बैंक की शाखा आरटीजीएस के माध्यम से विप्रेष□ण स्वीकार करती है या नहीं ?

उत्तर- आरटीजीएस के माध्यम से किए जानेवाले निधि अंतर□ण के लिए भेजनेवाले बैंक की शाखा और पानेवाले बैंक की शाखा आरटीजीएस सुविधायुक्त होनी चाहिए। आरटीजीएस सुविधायुक्त सभी शाखाओं में इसकी सूचियां तत्काल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यह जानकारी भारिबैंक की वेबसाइट (हशश्रविींीींडीलळ.ेीस.ळप) है। यह विचार देखते हुए कि ५,००० शहरों/नगरों/तालुकों में स्थित ४४,००० शाखाएं आरटीजीएस प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं, यह जानकारी पाना कठिन नहीं होगा।

प्र. १४. किसी एक खास दिन आरटीजीएस के माध्यम से कितनी प्रमात्रा और मूल्य के लेनदेन किए जाते हैं ?

उत्तर- किसी एक खास दिन आरटीजीएस के माध्यम से लगभग २,००,००० करोड.रु. के ३०,००० लेनदेन किए जाते हैं।

प्र. १५ हिताधिकारी के खाते में राशि जमा न होने या जमा होने में विलंब होने की अवस्था में मैं किससे संपर्क करूं ?

उत्तर- अपने बैंक/शाखा से संपर्क करें। यदि इस मुद्दे का निपटारा संतोषजनक रूपि से न हो तो भारतीय रिजर्व बैंक के ग्राहक सेवा विभाग से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
ग्राहक सेवा विभाग
प्रथम तल, अमर बिल्डिंग, फोर्ट,
मुंबई-४००००१

या लसालीवडीलळ.ेीस.ळप पर ई-मेल करें।